B-3~~1~~4
L-35
I. Polity

मंत्रालयों का निर्माण प्रतिस्पर्धा और कुशलता

- संविधान में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नही है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 75 (5) में यह उल्लेखित है कि यदि कोई मंत्री दोनों सदनों में एक सदन का सदस्य न हो या किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह 6 महीने के बाद मंत्री नही बना रहेगा।

- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई उल्लेख नही है लेकिन प्रधानमंत्री पर भी यह प्रावधान लागू होगा।

- संसदीय शासन की परम्परा के अनुसार मंत्री और प्रधानमंत्री को सामान्यतः लोक सभा से आना चाहिए क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

- मंत्रिपरिषद के गठन में सामाजिक क्षेत्रीय, धार्मिक आधारों को ध्यान में रखा जाता है और कुशलता तथा विशेषज्ञता बनाये रखने के लिए राज्य सभा से भी मंत्रियों का चयन किया जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

सामूहिक उत्तरदायित्व :-

- मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जिसका अभिप्राय है कि मंत्रिमण्डल के निर्णय से कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप में असहमति नही हो सकता और कोई भी मंत्री मंत्रिमण्डल के निर्णय का सदैव बचाव करेगा।

- अनुदान की मांग के मुद्दे पर यदि कोई मंत्री लोकसभा में पराजित हो जाए तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।

- संविधान के अनुच्छेद 75(2) में यह उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक अपना पद धारण करेगा जिसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसके अनुसार व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री कभी भी अपनी टीम में बदलाव कर सकता है।

- लेकिन गठबंधन सरकार के दौर में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित हो जाता है। क्योंकि सहयोगी दल के मंत्री सार्वजनिक रूप में अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल और संसद

भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख नही है यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति को प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।

- राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है (अनुच्छेद-75(1) और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है

- संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख नही है अपितु प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है (अनुच्छेद-78)
- जिसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा–

1. संघ सरकार के विधायी और प्रशासनिक मामलों की सूचना राष्ट्रपति को देगा।
2. संघ सरकार के विधायी और प्रशासनिक विषयों पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना की मांग कर सकता है
3. मंत्री विशेष ने किसी विषय पर विचार किया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह कह सकता है कि वह विषय समूचे मंत्रिपरिषद

के विचार के लिए रखा जाए।

- संसदीय शासन की परम्परा के अनुसार प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य का सम्पादन करता है -

(i) मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता उसके एजेंडे और बैठक का निर्धारण।

(ii) मंत्रियों के विभागों का आवंटन फेरबदल और उसमें सामंजस्य भी करता है

(iii) प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए तो समूचा मंत्रिमण्डल स्वाभाविक रूप में विघटित हो जाएगा जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिमण्डल पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(iv) राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है इसीलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है।

- सैद्धांतिक रूप में संसद मंत्रिमण्डल को नियंत्रित करती है और प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है या समानों मे प्रथम होता है लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति और भूमिका एक समान नही रहती और दलीय व्यवस्था के अनुसार यह परिवर्तित हो जाती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

यदि लोकसभा में किसी एक ही दल का बहुमत है तो शासन संसद के बजाय प्रधानमंत्री हो जाता है। और प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिमण्डल में निर्णायक हो जाती है और वह संसद को भी नियंत्रित करने लगता है।

• लोकसभा में यदि किसी एक दल का बहुमत न हो तो स्वाभाविक रूप में गठबंधन सरकार का निर्माण होगा और प्रधानमंत्री की शक्तियों का ह्रास होना स्वाभाविक है जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं-

(i) प्रधानमंत्री के मंत्रालयों और विभागों के आवंटन की भूमिका सीमित हो जाती है

(ii) क्योंकि सहयोगी दल के मंत्रियों के निर्धारण का कार्य प्रधानमंत्री नही कर पाता और न ही उसमें वह फेरबदल कर सकता है।

(iii) प्रधानमंत्री नीति निर्माता भी होता है लेकिन गठबंधन सरकार में सहयोगियों के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नीति निर्माण में भी स्वतंत्र नही रहता।